रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]
No. 311]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 1996/आश्विन 8, 1918
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 1996/ASVINA 8, 1918

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1996

सा.का.नि. 446 (अ.).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 [1963 का 38] की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज सहायता) विनियमावली 1996 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त अधिनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) की धारा-28 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन ने नि[illegible] विनियमावली बनाई है :

1 **प्रारम्भ और संक्षिप्त नाम :**—(1)इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज सहायता) विनियमावली, 1996 होगा ।

(2) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना होने के दिन से यह विनियमावली, लागू होगी ।

2. **उपयोग सीमा :**—(1) बोर्ड के सभी स्थाई कर्मचारियों पर यह विनियमावली लागू होगी तथा अस्थाई कर्मचारी कम-से-कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर इसका लाभ उठा सकेंगे ।

3. **परिभाषाएं :**—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो विनियमावली की परिभाषाएं ये हैं :

(1) 'बोर्ड', 'अध्यक्ष', 'उपाध्यक्ष', 'विभागाध्यक्ष' अर्थ महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अनुसार ही है ।

(2) अनुमोदित वित्तीय संस्था का अर्थ एक राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, गृह विकास एवं वित्त निगम, अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा चलाई गई वित्त संस्था से है ।

(3) 'कर्मचारी' से अर्थ बोर्ड के किसी भी कर्मचारी से है।

(4) 'ऋण' से अर्थ विनियम-6 में बताए उद्देश्य के लिए अनुमोदित वित्तीय संस्था से कर्मचारी द्वारा लिये [illegible]ण से है ।

4. [illegible]ायता के लिये पात्रता : —(1) कर्मचारी को ब्याज सहायता तब मिलेगी जब व[illegible] के खण्ड (2) में बताई गई अनुमोदित वित्तीय [illegible]नियम(6) में बताए उद्देश्य के लिये ऋण लेगा ।

(2) पात्र क[illegible] अनुमोदित वित्तीय संस्था से सीधे ही ऋण लेने के लिए आवेदन कर सकेगा । ऋण मं[illegible] की पात्रता, ऋण राशि तथा

भुगतान मंजूर होने की अन्य शर्तों के विषय में वह स्वयं सीधे ही व्यवहार करेगा ।

(3) अगर पति-पत्नी दोनों ही पत्तन के कर्मचारी हैं तो दोनों में से एक को ही ब्याज सहायता प्राप्त होगी ।

(4) अपने पूरे सेवा काल में केवल एक ऋण के लिये ही कर्मचारी को ब्याज सहायता दी जाएगी ।

(5) किसी वित्तीय संस्था से कर्मचारी द्वारा ऋण लेने पर बोर्ड न तो गारंटीकर्त्ता होगा तथा न उसे गारंटीकर्त्ता के [illegible] ही माना जाएगा ।

5. **ब्याज सहायता का भुगतान :—** बोर्ड निम्नलिखित शर्तों पर पात्र कर्मचारी को भारत सरकार द्वारा समय-समय [illegible] अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दर तथा अनुमोदित वित्तीय संस्था द्वारा कर्मचारी को दिये ऋणों की ब्याज के बीच अन्तर के भुगत[illegible] लिये ब्याज सहायता दे सकता है :

(क) पात्र कर्मचारी के दावे पर बजट में धनराशि होने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विचार किय[illegible] जाएगा । अगर बहुत अधिक दावे होंगे तो बजट में उपलब्ध राशि के अनुसार जितनों को ब्याज सहायता दी जा सकेगी उन्हें आयु की वरि[illegible] के आधार पर क्रमानुसार दे दी जाएगी ।

(ख) जो कर्मचारी वेतन के माध्यम से ऋण चुकाएंगे उन्हें बोर्ड द्वारा ब्याज सहायता वेतन के साथ-साथ दे [illegible] जाएगी । अन्य मामलों में अनुमोदित वित्तीय संस्था से ऋण पर कर्मचारी द्वारा अदा की गई ब्याज राशि तथा ब्याजदर के बारे में प्र[illegible] पत्र प्राप्त होने पर ब्याज सहायता दी जाएगी ।

(ग) ऋण चुकाने में होने वाले किसी दोष के कारण ली जाने वाली दंडात्मक ब्याज का भुगतान बोर्ड नहीं क[illegible]

(घ) अगर समय से ऋण चुकाने के कारण वित्तीय संस्था ब्याज में किसी तरह की छूट देती है तो बोर्ड उस र[illegible] तक ब्याज सहायता कम कर देगा ।

6. **ब्याज सहायता दिये जाने वाले ऋण का उद्देश्य :—** कर्मचारी को निम्नलिखित के लिये अनुमोदित वित्तीय स[illegible] ों से लिये गये ऋण पर ब्याज सहायता मंजूर की जाएगी :

उद्देश्य :

(1) कर्मचारी द्वारा या उसकी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खरीदे गये भूखण्ड पर नया घर बनाने के लिये ।

(2) भूखण्ड खरीदकर उस पर घर बनाने के लिये ।

(3) सहकारी योजना में भूखण्ड खरीद कर उस पर घर बनाने के लिये अथवा सहकारी सामूहिक गृह योजना के [illegible] के रूप में घर लेने के लिये ।

(4) किसी गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण अथवा अन्य सांविधिक अथवा अर्ध-सरकारी निकाय और नि[illegible] संस्था से भी बना बनाया घर/फ्लैट नकद दामों पर खरीदने के लिये ।

(5) कर्मचारी द्वारा अपने या संयुक्त रूप से अपने तथा पति/पत्नी के घर में और अधिक रिहायशी कमरे वगैरह [illegible] के लिये ।

(6) किसी आवासीय बस्ती में दुकान तथा रिहायशी भूखंड के लिये निश्चित किये गये भूखंड पर भवन के केवल रिहायशी भाग को बनाने के लिये ।

7. **ब्याज सहायता दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम धनराशि :** — पात्र कर्मचारी को दी जाने वाली ब्याज स[illegible] ता ऋण की निम्नलिखित सीमाओं से बंधित होगी जो सबसे कम हो ।

* मासिक वेतन का 50 गुना
* रु. 5,00,000/-
* घर बनाने या खरीदने पर खर्च

(2) कर्मचारी की ऋण चुकाने की क्षमता के अनुसार ऋण की धनराशि निम्नलिखित रूप से भी प्रतिबन्धित कर दी जाएगी :

(क)	20 साल बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी के मामले में	:	(मूल वेतन+गतिरोध वेतन वृद्धि+नोन प्रेक्टिसिंग भत्ता) का 35 प्रतिशत
(ख)	10 साल के बाद किन्तु 20 साल के पहले /तक रिटायर होने वाले कर्मचारी के मामले में	:	(मूल वेतन+गतिरोध वेतन वृद्धि+नोन प्रेक्टिसिंग भत्ता)के 40 प्रतिशत तक 60 प्रतिशत उपदान भी गिना जाएगा ।
(ग)	10 साल में रिटायर होने वाले कर्मचारी के मामले में	:	(मूल वेतन+गतिरोध वेतन वृद्धि+नोन प्रेक्टिसिंग भत्ता) के 50 प्रतिशत तक । 70 [illegible] उपदान भी गिना जाएगा ।

8. [illegible]ण पर दी जाने वाली ब्याज सहायता से निर्माण किये जाने [illegible] कलित कीमत (जमीन की कीमत छोड़कर) मूल वेतन, प्रेक्टिस

बंदी भत्ता तथा प्रगतिरोध भत्ता मिलाकर हुई धनराशि के 200 गुने के बराबर किन्तु रु. 8,00,000/- से अधिक नहीं होगी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये समय-समय पर संशोधित कीमत के बराबर होगी ।

9. **ब्याज सहायता की देयता अवधि** :—कर्मचारी को किसी भी कारण से सेवा समाप्त होने की तिथि अथवा कर्मचारी द्वारा पूरा ऋण चुकाने की तिथि में से जो पहले होगी उस तिथि तक बोर्ड द्वारा ऋण पर ब्याज सहायता दे दी जाएगी ।

10. **शक्तियों का प्रत्यायोजन** :—विनियमावली में बोर्ड को दी गई शक्तियों का उपयोग अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

11. **निरसन** :—अगर इस विनियमावली के निरसन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उस पर बोर्ड निर्णय लेगा ।

[फा. सं. पी. आर.-12016/5/96-पी.ई.1]

अ. कु. रस्तोगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1996

G.S.R. 446 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations, 1996 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963), the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following Regulations, namely :

1. **Short title and commencement** :—(i) These Regulations may be called the JNPT Employees (Interest Subsidy on House Building Advance) Regulations, 1996.

(ii) These Regulations will come into force from the date of notification in the Official Gazette.

2. **Extent of Application** :—These Regulations shall apply to all permanent employees of the Board and temporary employees who have completed not less than ten years of service to the Board.

3. **Definitions** :—Definition in these Regulations, unless the context otherwise requires :

(i) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" "Head of Department" shall have the same meaning as assigned to them in the Major Port Trusts Act, 1963.

(ii) 'Approved Financial Institution' shall mean a Nationalised Bank, LIC, HDFC or any other housing finance institution floated by a nationalised bank.

(iii) 'Employee' shall mean an employee of the Board.

(iv) 'Loan' shall mean the loan taken by an employee from approved financial institution for the purpose specified in Regulation 6.

4. **Eligibility for Interest Subsidy :**

(i) An employee will be eligible for interest subsidy if he takes loan for a purpose specified in Regulation 6 from approved financial institution as defined in clause (ii) of Regulation 3.

(ii) The eligible employee may be apply to an approved financial institution for grant of loan directly. The employee will deal directly with such institution regarding eligibility for grant of loan, amount of loan and fulfilment of other conditions to grant of payment.

(iii) Where both husband and wife are employees of the Board only one of them will be eligible for interest subsidy from the Board.

(iv) An employee will get interest subsidy under these regulations only for one loan during his/her entire service.

(v) The Board shall not stand as a guarantor for repayment of a loan nor will be deemed as guarantor for a loan

obtained by an employee from a financial institution.

5. **Payment of Interest Subsidy** :—The Board may grant interest subsidy to an eligible employee to meet the difference between the rate of interest at which the Govt. of India sanctions loans to their employees and the rate of interest charged by an approved financial institution on loan granted by it from time to time subject to the following conditions :

(a) The claim of an eligible employee for interest subsidy will be considered on first come first served basis subject to availability of budgetary provision. If there are more number of claims than those which can be accommodated within budgetary provision then they will be considered in the order of seniority by age.

(b) The Board will pay interest subsidy alongwith the salary of those employees who repay the loan through their salary. In other cases interest subsidy will be paid to an eligible employee on the basis of certificate from an approved financial institution with regard to the interest actually paid by the employee on the loan paid to him alongwith the rate of interest charged.

(c) The Board will not pay any penal interest levied by a financial institution for default in re-payment of loan.

(d) The subsidy payable to an employee by the Board will be reduced to the extent of rebate, if any, allowed by the financial institution to the employee for timely repayment of loan.

6. **Purpose of loan for which interest subsidy is paid** :—Interest subsidy will be granted for loan taken by an employee from an approved financial institution for the following purposes :

(1) Constructing a new house on the plot owner by an employee or an employee's spouse jointly.

(2) Purchasing a plot and constructing a house thereon.

(3) Purchasing a plot under a co-operative scheme and constructing a house thereon or acquiring a house through membership of a co-operative Group Housing Scheme.

(4) Outright purchase of a ready-built house/flat from a Housing Board, Development Authority and other statutory or semi Government body and also from private party.

(5) Enlarging living accomodation in an existing house owned by an employee or jointly with an employees spouse.

(6) Constructing the residential portion only of the building on a plot which is earmarked as a shop-cum-residential plot in a residential colony.

7. **Maximum amout of loan on which interest subsidy is payable** :—An eligible employee may be granted interest subsidy on loan not exceeding an amount equal to 50 times of Basic Pay subject to maximum of Rs. 5,00,000/- or the actual cost of construction whichever is less.

(2) The amount of advance shall be restricted to the repaying capacity of an employee which shall be calculated as follows :

(a)	In the case of employee retiring after 20 years.	35% of (basic pay+stagnation increment+NPA)
(b)	In the case of employee retiring after 10 years but, not more than 20 years.	Upto 40% of (basic pay+stagnation increment+NPA). 60% of Gratuity may also be adjusted.
(c)	In the case of employee retiring within 10 years.	Upto 50% of (basic pay+stagnation increment+NPA) Gratuity upto 70% can be adjusted.

8. The estimated cost of the house to be built/purchased (excluding the cost of the plot) with the loan eligible for interest subsidy, shall not exceed 200 times the basic pay plus Non-practising Allowance, Stagnation incerement subject to the maximum of Rs. 8,00,000/- or as revised by Central Govt. for their employees from time to time.

9. **Period upto which interest subsidy is payable** :—Interest subsidy on the loan shall be paid by the Board to an employee upto the date of termination of the service of the employee for any reason or upto the date of repayment of loan in full by the employee, whichever is earlier.

10. **Delegation of powers** :—The powers conferred on the Board by the Regulations shall be exercised by the Chairman.

11. **Interpretation** :—If any question arises as to the interpretation of these Regulations the same shall be decided by the Board.

[F. No. PR-12016/5/96-PE-1]
A. K. RASTOGI, Jt. Secy.

by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
nd Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996